न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार न्यौल RAS

प्रकरण संख्याः— 109/2019 दायर दिनांक :— 19.11.2019

रूघाराम भादू मेमोरियल एज्जूकेशन एण्ड बेलफेयर सोसायटी कार्यायल 11A जवाहरनगर बीकानेर जरिये अध्यक्ष दिनेश भादू पुत्र रामलाल भादू जाति जाट निवासी 11A जवाहरनगर बीकानेर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक अर्न्तगत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 88,188

उपस्थितः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :—11.12.2019

वादी ने जरिये अभिभाषक इस न्यायालय में वास्ते घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का एक दावा पेश किया जिसके जो सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2017/1323 तादादी 1.2000 हैक्टेयर रोही शेरूणा में स्थित है जो वादी ने जरिये उपहार पत्र खरीद किया है वादी के खेत के चारो तरफ सीमा कायम है मौके पर सीमाओ के अनुसार वादी के खेत की उतरी सीमा 91 मीटर दक्षिणी सीमा 91 मीटर पूर्वी सीमा 109.8 मीटर पश्चिमी सीमा 109.8 मीटर कायम है। मौके पर कायम सीमाओ के अनुसार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा था जो आज भी लगातार उसी अनुसार कब्जा काश्त कायम है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेत का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है जिसको सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में तादादी 1.2000 हैक्टेयर है उसी अनुसार वादी के खेत की सीमाऐ कायम है एवं मौके पर वादी का 1.2000 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त कायम है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जिससे वादी के खेत के राजस्व अक्श में एवं मौके पर काफी अन्तर हो गया है वादी के खेत के राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है। वादी के खेत की जमाबन्दी में एवं मौके पर तादादी 1.2000 हैक्टेयर होने से एवं राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे एवं तादादी के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को कई तरह की परेशानिया

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

आती है। वादी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का अधिकारी है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि वादी के खेत खसरा नंबर 2017/1323 तादादी 1.2000 हैक्टेयर रोही शेरूणा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर 2017/1323 तादादी 1.2000 हैक्टेयर रोही शेरूणा की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

वादी के उक्त वाद पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । स्टेट की तरफ से जबाब प्रस्तुत किया जबाब के अनुसार खसरा नम्बर 2017/1323 तादादी 1.2000 हैक्टेयर रोही शेरूणा के चारो ओर पट्टिया रोपी हुई है एवं तारबन्दी से बाड की हुई है। मौके के अनुसार उतरी सीमा 91 मीटर एवं दक्षिणी सीमा 91 मीटर पूर्वी सीमा 109.8 एवं पश्चिमी सीमा 109.8 मीटर है। राजस्व नक्शा मौके कब्जे के विपरीत है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि रूपान्तरित है रूपान्तरित भूमि के सलग्न नक्शा के अनुसार एवं पुराने नक्शा के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। राजस्व जमाबन्दी में तादादी 1.2000 हैक्टेयर है कप्यूटराईज्ड राजस्व नक्शा एवं पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित नक्शे में अन्तर है रूपान्तरण आदेश के सलग्न नक्शा एवं पूर्व में जारी नक्शा वादी द्वारा कथित सीमाओ के अनुसार है। लेकिन राजस्व कम्प्यूटराईज्ड नक्शे में तरमीम गलत हुई है जिसको न्यायालय राजस्व नक्शे की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार किया जाना उचित उचित समझता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 2017/1323 तादादी 1.2000 हैक्टेयर रोही शेरूणा तहसील श्री डूॅगरगढ के राजस्व नक्शे की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करें। डिक्री जारी हों । निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया गया।

(राकेशकुमार न्यौल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner